बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०–ल०सिं०मो०–C.M- e-dash-06/2020- 1401 (मो०) */पटना, दिनांक–* 03-07-2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना।

विषयः– **पटना जिला के धनरूआ प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–छोटकी मठ में अतिक्रमण जमीन पर पईन खुदाई नहीं करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **श्री श्याम किशोर प्रसाद, ग्राम–छोटकी मठ, प्रखण्ड–धनरूआ, जिला–पटना से प्राप्त ई–मेल।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में **श्री श्याम किशोर प्रसाद, ग्राम–छोटकी मठ, प्रखण्ड–धनरूआ, जिला–पटना** द्वारा पटना जिलान्तर्गत बहरामपुर पंचायत के छोटकी मठ ग्राम में पईन खुदाई कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जांच कर ली जाय तथा अतिक्रमण मुक्त कराकर प्राक्कलन के अनुसार कार्य कराया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

3/7/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1401 (मो०) */पटना, दिनांक–* 03-07-2020

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, पटना/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1401 (मो०) */पटना, दिनांक–* 03-07-2020

प्रतिलिपि–श्री श्याम किशोर प्रसाद, ग्राम–छोटकी मठ, प्रखण्ड–धनरूआ, जिला–पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3/7/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

Email

secmnir-bih@nic.in

पटना जिला के धनरूआ प्रखण्ड अंतर्गत बहरामपुर पंचायत के ग्राम छोटकीमठ में अतिक्रमण ज़मीन पर पईन खुदाई नहीं कराया जाना ।

From : prasadkishorshyam91@gmail.com

Sat, Jun 13, 2020 03:29 PM

2 attachments

Subject : पटना ज़िला के धनरूआ प्रखण्ड अंतर्गत बहरामपुर पंचायत के ग्राम छोटकीमठ में अतिक्रमण ज़मीन पर पईन खुदाई नहीं कराया जाना ।

To : Amrit Lal Meena <secmnir-bih@nic.in>

लघु जल संसाधन विभाग बिहार, पटना
15 JUN 2020
(अपर मुख्य सचिव के)

पटना जिला के धनरूआ प्रखण्ड अंतर्गत बहरामपुर पंचायत के ग्राम छोटकीमठ में पईन खुदाई किया गया है, परंतु अतिक्रमित पईन की ज़मीन पर बने मकानों को नहीं हटाया गया है । साथ ही उक्त पईन की उड़ाही भी नहीं कराया गया है ।

पईन की

ज़मीन से अवैध निर्माण को नहीं हटाया जाना बेहद चिंता का विषय है और इससे पईन खुदाई के उद्धेश्य को पूरा नहीं होता है । साथ ही यह योजना के लिए आवंटित राशि का दुरुपयोग है। इससे ग्रामीणों के बीच जल निकास को लेकर चल रहे विवादों का समाधान भी नहीं हो सका ।

अतः अवैध निर्माण को शीघ्र हटाया जाए एवं अतिक्रमित भूमि पर पईन खुदाई कराया जाए । अनुरोध है कि उक्त दिशा में शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किया जाए ।

संलग्न- 2 पेज ।

श्याम किशोर प्रसाद, छोटकीमठ, धनरूआ, पटना ।

- **बहरामपुर पईन .pdf**
  401 KB
- **पईन .pdf**
  126 KB

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,जिला:-पटना

शिकायत का निवारण हो गया आसान

परिवाद संख्या- 999990127041964688

परिवाद की तिथि- 27/04/2019

परिवादी का नाम-	श्याम किशोर प्रसाद
परिवादी का पता-	शहर/गाँव- छोटकीमठ, डाकघर- बहरामपुर, प्रखण्ड- धनरुआ, अनुमंडल- मसौढी, जिला-पटना
लोक प्राधिकार-	

WEB COPY NOT OFFICIAL

25/06/2019

अंतिम विनिश्चय

परिवादी अनुपस्थित | लोक प्राधिकार अनुपस्थित|

परिवादी श्याम किशोर प्रसाद अनुपस्थित है | लोक प्राधिकार कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अनुपस्थित है | परिवादी का परिवाद धनरुआ प्रखंड के बहरामपुर पंचायत के समस्त आहर-पईन का जीर्णोद्धार कार्य कराने के सम्बन्ध में है | इस सम्बन्ध में लोक प्राधिकार का प्रतिवेदन पत्रांक 1931 दिनांक 30.05.19 से प्राप्त है | प्रतिवेदित है कि परिवादी श्री श्याम किशोर प्रसाद, पिता-श्री राजेंद्र प्रसाद, ग्राम-छोटकीमठ, पो0-बहरामपुर, अनुमंडल-मसौढ़ी, जिला-पटना का परिवाद धनरुआ प्रखंड के बहरामपुर पंचायत के समस्त सतही सिंचाई योजना/आहर पईन का जीर्णोद्धार कार्य कराने के सम्बन्ध में दिया गया है | उक्त परिवादी के आलोक में बहरामपुर आहर पईन योजना का डी0पी0आर0 तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार के पास समर्पित किया गया है | प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य करा दिया जायेगा | इस प्रकार लोक प्राधिकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है | लोक प्राधिकार को निदेश दिया जाता है कि परिवादी के शिकायत का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करे | इस निदेश के साथ वाद को निष्पादित किया जाता है | आदेश की प्रति लोक प्राधिकार एवं परिवादी को उपलब्ध करायें |

हस्ताक्षर
(जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,जिला:-पटना)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना।

पत्रांक:–   /पटना, दिनांक:–

प्रेषक,

ई0 सर्वेश चौधरी,
कार्यपालक अभियंता
लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना।

सेवा में,

के0पी0आर0 इन्टरप्राईजेज,
लाल बाबू मार्केट, शास्त्रीनगर, पटना।

विषयः– **बहरामपुर आहर पईन योजना के जीर्णोद्धार एवं पुर्नस्थापना कार्य का कार्यारम्भ आदेश निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंग:– मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल पटना का पत्रांक:–2464 दिनांक–24.09.19. द्वारा कार्यावंटन आदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित **बहरामपुर आहर पईन** आहर/पईन/पोखर/तालाब योजना के जीर्णोद्धार एवं पुर्नस्थापन कार्य का कार्यादेश एकरारनामा के प्रत्याशा में निम्नालिखित शर्तों के साथ दिया जाता है।

1. संवेदक को कार्य शुरू करने के पहले, कार्य चलते रहने के समय तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्य स्थल का Photography/Videography कराकर उसे विभाग के Website- "**www.minorirrigation.bihar.gov.in**" पर Upload करना होगा, तथा अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में भी जमा करना अनिवार्य होगा ।
2. आहर–पईन तथा तालाबो के तटबंधो का Side-Slope का निर्माण रूपांकण के अनुसार कराया जाय तथा Side-Slope में Berm का निश्चित रूप से प्रावधान किया जाय जिससे Bank पूरी तरह Stable रहें और तटबंध की मिटटी वापस आहर–पईन अथवा तालाब में न आ सके।
3. Hume Pipe के Inlet, Outlet तथा Culvert (पुलिया) के निर्माण के समय उनका Face Wall के Foundation का लेवल Bed Level से करीब 3'–0" नीचे होगा तथा Hume Pine को 0–6" PCC के उपर रखा जाएगा।
4. Retaining Wall का निर्माण भी रूपांकण के अनुसार ही कराना होगा। इसका भी Foundation का लेवल Bed Level से कम से कम 3'–0" अथवा Scour Depth के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाय ।
5. Retaining Wall में आवश्यकतानुसार Weep Holes तथा Construction Joints का प्रावधान सुनिश्चित किया जाय ।
6. Spill way तथा Culvert का निर्माण भी रूपांकण के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाय ।
7. संरचनाओ में Cut off का निर्माण Scour Depth के अनुसार कम से कम 1.5 मीटर होना सुनिश्चित किया जाय ।
8. संवेदको को Defect Liability Period तक योजनाओं में आयी त्रुटियॉ का निराकरण करना होगा।
9. संवेदको को कार्यादेश प्राप्त होने के तुरन्त बाद पुनः योजना स्थल का निरीक्षण कर लेना चाहिए तथा योजना के कियान्वयन में आने वाली **कठिनाईयों तथा अतिकमण** इत्यादि की सूचना अद्योहस्ताक्षरी को तुरन्त दी जाय ताकि उसके निराकरण पर शीघ्र विचार किया जा सके।
10. संवेदको को कार्यादेश के तुरन्त बाद कार्य शुरू करा देना होगा ताकि कार्य निर्धारित समय 31.03.2020 तक पूरा हो सके। समय पर कार्य नहीं पूरा होने पर किसी प्रकार का समय विस्तार नहीं दिया जायेगा।
11. योजना से संबंधित सभी पईनों/आहर/पोखर/तालाब का Pre Level लेबल बुक में अंकित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं संवेदक के संयुक्त हस्ताक्षर के उपरान्त कार्यारम्भ के पूर्व प्रमंडलीय कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेगे।

Scanned by CamScanner

12. सामान्यतः कार्य शून्य बिन्दु से प्रारम्भ होगा एवं किसी खास लम्बाई में संरचना कार्य एवं मिट्टी कार्य पूर्ण होने पश्चात् ही दूसरे लम्बाई में कार्य प्रारम्भ करेंगे। विभिन्न लम्बाई में छिटपुट ढंग से मिट्टी कार्य किये जाने पर रोक रहेगा।

13. निर्माण कार्य में प्रत्युक्त सामग्रियों का चालान अभिश्रव के रूप में प्रभारी अभियंता को समर्पित करना होगा।

14. निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त किये जानेवाले सामग्रियों का गुणवत्ता जाँच स्वंय अपने खर्च पर किसी मान्यता प्राप्त लैब से जाँच कराना अनिवार्य होगा ।

15. कार्य स्थल पर स्थल आदेश पुस्तिका जो कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना द्वारा निर्गत होगा निश्चित रूप से रखा जायेगा। एकरारनामा एवं प्राक्कलन से भिन्न कार्य का दावा प्रस्तुत किये जाने के समय कार्य आदेश पंजी का छायाप्रति संलग्न कर दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16. एकरारनामा करने हेतु रूपये 1000.00 (एक हजार) का ननजुडिशियत स्टॉम्प पेपर (विधिवत् क्रय किया गया हो)/ F_2 प्रपत्र एवं निविदा में अपलोड किये गये सभी अभिलेखों की मूल प्रति के साथ अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। तथा वांछित जमानत की राशि (अग्रधन की राशि के समायोजन के पश्चात्) अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के तौर पर रूपये **237700.00** किसान विकास पत्र एवं एफ0डी0आर0 अद्योहस्ताक्षरी के नाम से प्रतिज्ञित कराकर जमा करना अनिवार्य होगा । यदि आपके द्वारा दिनांक–15.11.19 तक एकरारनामा की कारवाई नहीं की गयी तो नियमानुसार कार्य आवटन रद्द करने की कारवाई की जा सकती है।

17. यह भी ध्यान रखें कि यदि आपका निबंधन लघु जल संसाधन विभाग, पटना में न है तो 10 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से निबंधन कराते हुए उसकी एक सत्यापित प्रति अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करेंगें।

18. एकरारनामा के समय लेबर लाईसेंस का अद्यतन प्रति एवं कार्य अनुसूचि (**Works Programme**) जमा करना अनिवार्य होगा ।

19. किसी भी प्रकार का भुगतान एकरारनामा के पश्चात् ही किया जाएगा ।

विश्वासभाजन

Choudhary 25/9/19

कार्यपालक अभियंता
लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना।

पत्रांक 3/32 पटना/दिनांक 25.09.19

प्रतिलिपि:– सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

Choudhary 25/9/19

कार्यपालक अभियंता
लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना।

पत्रांक 3/32 पटना/दिनांक 25.09.19

प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित ।

Choudhary 25/9/19

कार्यपालक अभियंता
लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना।

Scanned by CamScanner